रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 544] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 1980/अग्रहायण 11, 1902
No. 544] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 1980/Agrahayana 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1980

का. आ. 936(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 175 रुपये प्रति कि. ग्रा. को उस अधिकतम विक्रय कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर स्वदेश विनिर्मित जाइलोकेन (लिगनोकेन और हाइड्रोक्लोराइड और बेस) का विक्रय किया जाएगा ।

[सं. 8(34)/79-औषधि-2]

आर. एन. दास, उप-सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Fertilizers)

ORDER

New Delhi, the 2nd December, 1980

S.O. 936(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of Paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order 1979, the Central Government hereby fixes Rs. 175 per kg. as the maximum sale price at which Xylocaine (Lignocaine and Hydrochloride and base) manufactured indigenously shall be sold.

[No. 8(34)/79-Drug. II]

R. N. DAS, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054—1980